उत्तर प्रदेश शासन
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1
संख्याः-5/2019/25/सोलह-1-2019-14(53)/2014
लखनऊः दिनांकः 05 मार्च, 2019

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-673/सोलह-1-2015-14(53)/2014 दिनांक 04.03.2015 द्वारा राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज को उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय (सम्प्रति डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय), लखनऊ का सहयुक्त कालेज बनाते हुए उक्त कालेज का संचालन/पठन-पाठन शैक्षिक सत्र 2015-16 से हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान (सम्प्रति हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय), कानपुर में किये जाने एवं प्रश्नगत संस्थान का निर्माण कार्य/अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के विकसित होने एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से विधिवत मान्यता/अनुमोदन प्राप्त होने पर स्वायत्तशासी अनुदानित अभियंत्रण संस्थान का स्वरूप प्रदान किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे।

2. उक्त के क्रम में निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज द्वारा अपने पत्र दिनांक 14.12.2018 में अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत संस्थान को शैक्षिक सत्र 2018-19 से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा विधिवत मान्यता/अनुमोदन प्रदान कर दी गयीं है। संस्थान के बाइलाज एवं सोसाइटी का पंजीकरण तथा प्रशासकीय परिषद का गठन किया जा चुका है एवं संस्थान अपने पूर्ण स्वतंत्र अस्तित्व में संचालित हो रहा है।

3. संस्थान के निदेशक, द्वारा किये गये उक्त अनुरोध पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज को उपरोक्त आदेश दिनांक 04.03.2015 द्वारा घोषित सहयुक्त संस्थान के स्थान पर डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध (एफिलियेटेड) शासकीय अनुदानित अभियंत्रण संस्थान घोषित करने/बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. संस्थान में शैक्षिक सत्र 2018-19 तक प्रवेशित/अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को सहयुक्त कालेज के छात्र-छात्रायें मानते हुए वर्ष 2019-20 में प्रवेशित छात्र-छात्राओं को अभातशिप के अनुमोदनानुसार सम्बद्ध कालेज के छात्र-छात्रायें मानते हुए डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा डिग्री दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

5. कृपया तदनुसार अग्रत्तर यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

डा० सरोज कुमार
विशेष सचिव

<u>संख्याः-5/2019/25/सोलह-1-2019-14(53)/2014 तददिनांक-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
(2) कुलपति/कुलसचिव, डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
(3) कुलपति/कुलसचिव, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
(4) कुलपति/कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
(5) अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
(6) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर।
(7) निदेशक, बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झांसी।
(8) निदेशक, उ०प्र० वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।
(9) निदेशक, कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुलतानपुर।
(10) निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, आजमगढ/अम्बेडकरनगर/बिजनौर एवं बांदा।
(11) निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, मैनपुरी, कन्नौज एवं सोनभद्र।
(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अवध किशोर)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in